

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में "जन स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर  
सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.जा. सं. एबी.  
14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल में "जन स्वास्थ्य  
परिचर्या अधिकारी" पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपतिधारक इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए  
टिप्प/भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी  
(एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई  
दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या [medicalhospital61@gmail.com](mailto:medicalhospital61@gmail.com) पर ई कर मेल-  
हैं। सकते

नई दिल्ली  
दिनांक :

(गणेश कुमार)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष-011 : 23062032

(गणेश कुमार)  
(GANESH KUMAR)  
अवर सचिव / Under Secretary  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
Ministry of Health & Family Welfare  
भारत सरकार / Govt. of India  
नई दिल्ली / New Delhi

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख

2021

सा.का.नि. ...- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफ़रदरजंग अस्पताल (श्रेणी 'III' पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध जन स्वास्थ्य नर्स के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़रदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में जन स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़रदरजंग अस्पताल, जन स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2021 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम  | पद की संख्या   | वर्गीकरण  | वेतन मैट्रिक्स में स्तर                          | चयन या अचयन पद               | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा   |
|--|--|---|--|------------------------------|---|
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                          | (6)   |
| जन स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी  | 08* (2021)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसन्धित   | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-08 (46700-151100 रुपये)। | लागू नहीं होता।              | केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।<br>35 वर्ष से अधिक नहीं।                |
| <p>टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पंगी उपखण्ड और लदाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।</p> |  |   |  |                              |   |
| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं   |  | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। |  | परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आभेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
| (7)  |  | (8)   |  | (9)                          | (10)  |

|  |   |                 |  |
|--|---|-----------------|--|
| <p>(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी. एससी. (ऑनर्स) या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी. एससी नर्सिंग का नियमित पाठ्यक्रम या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में पोस्ट बेसिक बी. एससी।</p> <p>(II) राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स या नर्स एवं मिडवाइफ (आरएन या आरएन एवं आरएन) के रूप में पंजीकृत।</p> <p>(III) ऊपर्युक्त शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त करने के पश्चात कम से कम 50 विस्तारों वाले अस्पताल में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>(IV) जन स्वास्थ्य नर्सिंग का प्रमाण-पत्र।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण- 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p> | <p>लागू नहीं होता।</p>                                | <p>दो वर्ष।</p> | <p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो-</p> <p>(क) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित किए हुए हों; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p> |
| <p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>  | <p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p> | <p>(12)</p>     | <p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p> <p>(13)</p>   |
| <p>(11)</p>  | <p>(12)</p>   | <p>(12)</p>     | <p>(13)</p>  |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <p>लागू नहीं होता ।</p> | <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली<br/>- अष्ट<br/>यक्ष;</li> <li>2. मुख्य परिचर्या अधिकारी/परिचर्या अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल,<br/>नई दिल्ली<br/>- सदस्य;</li> <li>3. सहायक महानिदेशक (परिचर्या), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य;</li> <li>4. उप निदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली<br/>- सदस्य ।</li> </ol> | <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।</p> |
|-------------------------|--|--|

[ए.11018/07/2020-एमएच II]

(गणेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार